Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **कोटा में वनरक्षक (फोरेस्ट गार्ड) एवं वृक्ष पालक (केटल गार्ड) 5 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *03 मार्च, शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर झालावाड़ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये बाबूलाल गुर्जर वनरक्षण (फोरेस्ट गार्ड) एवं जगदीश प्रसाद गोचर वृक्ष पालक (केटल गार्ड) वनपाल नाका बपावर, रेंज कनवास, जिला कोटा को परिवादी से **5 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की झालावाड़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि खेती बाड़ी में काम में लिये जाने वाले ट्रैक्टर को परवन नदी के रास्ते पर आने जाने देने की एवज में बाबूलाल गुर्जर वनरक्षण (फोरेस्ट गार्ड) एवं जगदीश प्रसाद गोचर वृक्ष पालक (केटल गार्ड) वनपाल नाका बपावर, रेंज कनवास, जिला कोटा द्वारा मासिक बन्धी के रूप में **06 हजार रुपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, कोटा के **पुलिस अधीक्षक श्री आलोक श्रीवास्तव** के सुपरवीजन तथा एसीबी की झालावाड़ इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भवानी शंकर मीणा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **श्री रमेशचन्द्र आर्य पुलिस निरीक्षक** मय टीम द्वारा आज कोटा में ट्रेप कार्यवाही करते हुये बाबूलाल गुर्जर पुत्र श्री नेमीचंद निवासी ग्राम बन्ध बरेठा, तहसील बयाना जिला भरतपुर हाल वनरक्षण (फोरेस्ट गार्ड) एवं जगदीश प्रसाद गोचर पुत्र श्री चतुर्भज गुर्जर निवासी गणेश चौक बपावर कलां, जिला कोटा हाल वृक्ष पालक (केटल गार्ड) वनपाल नाका बपावर, रेंज कनवास, जिला कोटा को परिवादी से **5 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक, श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।